न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मीना गहलोत, RJS
नंबरी फौजदारी प्रकरण संख्या :– 321/2016
सी.आई.एस. नम्बर :– 3176/2016
सी.एन.आर. नम्बर :– RJSG180006102016

सरकार

बनाम

जयप्रकाश

चार्ज आदेश

(10 वर्ष पुराना प्रकरण)
अपराध अन्तर्गत धारा 419, 420 भारतीय दंड संहिता एवं 15(2) मेडिकल काऊंसिल एक्ट 1956, 18(सी) औषधि एवं प्रसाधन अधिनयिम 1940

उपस्थिति :–

1– विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।

2– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार जालप।

:: आदेश :: **दिनांक :–07.05.2026**

01. हस्तगत प्रकरण में परिवादी डॉ. अजय कुमार सिंगला द्वारा थानाधिकारी, पुलिसथाना–लालगढ़ जाटान के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 27.10.2015 को पेश करने पर पुलिसथाना–लालगढ़ जाटान पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 296/2015 , अंतर्गत धारा 419, 420 भारतीय दण्ड सहिता एवं भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15(2) दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध 419, 420 भारतीय दण्ड सहिता व 15(2) मेडिकल काऊंसिल एक्ट 1956, 18(सी) औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 20.09.2017 को अभियुक्त को उक्त धाराओं का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

02. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 डॉ. सुंदरलाल, पी.डब्ल्यू. 02 डा. अजय कुमार सिंगला व पी.डब्ल्यू. 03 रमेशचन्द्र, पी.डब्ल्यू. 04 गौरीशंकर,

पी.डब्ल्यू. 05 प्रेमसुख की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई। इस स्तर पर **माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सादुलशहर, जिला-श्रीगंगानगर द्वारा अपनी दाण्डिक पुनरीक्षण प्रकरण सख्या 36/2021 CIS No. 09/2021 जयप्रकाश बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लोक अभियोजक आदेश दिनांकित 13.02.2026 द्वारा इस न्यायालय के नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या-321/2016, अनवान सरकार बनाम जयप्रकाश में पारित अभियुक्त को सुनाये गये आरोप संबंधी आदेश दिनांकित 20.09.2017 को अपास्त किया जाकर, पत्रावली इस न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि माननीय न्यायालय द्वारा की गई विवेचना के अनुसार प्रकरण में उक्त उभय पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर आरोप संबंधी विधिसम्मत् आदेश पारित करने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश की पालना में उभय पक्षकारान की बहस चार्ज को पुनः सुना जाकर आदेश पारित किया जा रहा है।**

03. बहस चार्ज सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क पेश किये कि जब दिनांक 27.07.2015 को ड्रग्स इस्पैक्टर के साथ चिकित्साधिकारी डॉ. अजय सिंगला धरपकड़ करने वास्ते गये तो वहाँ न अभियुक्त मिला और ना ही अभियुक्त का पुत्र,जो बीडीएस है, दोनों ही नहीं मिले, कोई मरीज नहीं मिला, केवल कुछ डिस्पोजड ग्लूकोज की खाली शीशियां, इन्जैक्शन की खाली शीशियां मिली, केवल पैन किलर मिले, क्योंकि अभियुक्त का पुत्र बी.डी.एस. है, जबकि बयानों में गवाह पी.डब्ल्यू. 02 ने कहा कि अभियुक्त क्लिनिक में बैठा था और मरीज देख रहे थे, जबकि अभियुक्त अगर वरवक्त घटना होता तो अवश्य ही सभी फर्दों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होते, जबकि अभियुक्त के कहीं हस्ताक्षर नहीं है। घटनास्थल से जब्त किसी भी शीशी में भरे पदार्थ की कोई एफ.एस.एल. जांच नहीं करवाई गई। जांच करवाये बिना यह नहीं माना जा सकता कि उन शीशियों में क्या भरा था। पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं कि अभियुक्त् किसी मरीज को देख रहा हो और किसी मरीज द्वारा बदले में अभियुक्त को मूल्यवान वस्तु परिदत्त की गई हो और ना ही ऐसी साक्ष्य आई कि अभियुक्त ने छलपूर्वक किसी व्यक्ति को ईलाज करवाने के लिए प्रवंचित किया हो और मरीज को कोई मूल्यवान सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए प्रवंचित किया हो। अभियुक्त द्वारा पेश अपनी योग्यता संबंधी दस्तावेजों की अनुसंधान अधिकारी ने कोई जांच नहीं की है। अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य

पत्रावली पर विद्यमान नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्त को उक्त आरोप से उन्मोचित किया जाना न्यायहित में प्रार्थनीय है।

जबकि दौराने बहस अधिवक्ता परिवादी/अभियोजन अधिकारी ने निवेदन किया कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के लिए पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है। अतः अभियुक्त को उक्त धाराओं के आरोप से विरचित किये जाने का निवेदन किया।

04. बहस चार्ज उभय पक्षों सुनने , पत्रावली तथा सम्बन्धित विधि का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय का समाधान है कि प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी डॉ . अजय कुमार सिंगला ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी,पुलिसथाना–लालगढ़ जाटान के समक्ष इस आशय की पेश की गई है कि परिवादी हाल खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सादुलशहर जिला–श्रीगंगानगर के पद पर है। दिनांक 27.10.2015 को वह डॉ. सुंदर लाल चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगढ़, श्री रामपाल औषधिक नियंत्रण अधिकारी, श्रीगंगानगर, श्री रमेशचन्द एचसी–137 पुलिसथाना लालगढ़ जाटान के साथ चौधरी क्लीनिक लालगढ़ जाटान में डॉ. जयप्रकाश महला की क्लीनिक को चैक किया, तो फर्द रिपोर्ट में अंकितानुसार औषधियां की अवैध रूप से परचेज करता हुआ पाया गया, इत्यादि।

05. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध मुख्यतः यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त द्वारा बिना लाईसेंस या गलत तरीके से दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री करना व किसी भी अधिकृत संस्था द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र नहीं होने के बावजूद चिकित्सा अभ्यास करना तथा क्लीनिक में एलोपैथिक दवाइयों व चिकित्सीय अभ्यास के उपकरणों द्वारा बिना किसी इण्डियन मेडिकल काऊंसिल के जारी पंजीयन प्रमाण पत्र के अभियुक्त द्वारा अपने आप को चिकित्सक के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए लोगों का एलोपैथिक दवाइयों द्वारा ईलाज करते पाये गये एवं बेईमानी से उत्प्रेरित कर लोगों का ईलाज किया। इस संबंध में पत्रावली में पेश की गई लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करें तो उसमें डॉ. अजय सिंगला ने दिनांक 27.10.2015 को डॉ. सुंदर लाल चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगढ़, श्री रामपाल औषधिक नियंत्रण अधिकारी, श्रीगंगानगर, श्री रमेशचन्द एचसी–137 पुलिसथाना लालगढ़ जाटान के साथ चौधरी क्लीनिक लालगढ़ जाटान में डॉ. जयप्रकाश

महला की क्लीनिक को चैक करने पर फर्द रिपोर्ट में अंकितानुसार औषधियों की अवैध रूप से परचेज करता हुआ पाये जाने बाबत् अंकित किया गया है। इस संबंध में डॉ.अजय कुमार पी.डब्ल्यू.02 की प्रतिपरीक्षा का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किये हैं कि रमेशकुमार को उनके साथ भेजने की रवानगी थाने के रोजनामचा रजिस्टर में दर्ज की थी या नहीं, उसे ध्यान नहीं। उन्होंने थाने में पुलिस इमदाद हेतु कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था,उन्होंने सीएमएचओ को आदेश दिया था। थाना के एसएचओ ने उनकी टीम का थाने में पहुंचने का इन्द्राज थाने के रोजनामचे में किया था या नहीं, यह उसे ध्यान नहीं है। अभियुक्त के क्लिनिक में जांच से पूर्व आस पड़ोस के दुकानदारों को बुलाने का प्रयास किया था, वह नहीं बता सकता कि अभियुक्त की दुकान के पास किसकी दुकान व किस नाम से दुकान है। उसने अभियुक्त की दुकान के पास किसी भी व्यक्ति को लिखित में गवाह बनने का नोटिस नहीं दिया। आगे यह स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिकल राजस्थान जयपुर का ए श्रेणी का हो तो वह आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकता है, परंतु उसके पास वैलिड वैद्य व निर्धारित समय सीमा में रिन्यू करवाया हो तो ही वो सिर्फ आयुर्वेदिक में प्रैक्टिस कर सकता है, जो कि हर पांच साल में रिन्यू करवाना आवश्यक है। वे चार घंटे तक मुलजिम के क्लिनिक पर रहे और उस दौरान अभियुक्त वहाँ मौजूद रहा। इन चार घंटों की अवधि में अभियुक्त ने किसी भी मरीज को नहीं देखा और ना ही उसने इन चार घंटों में अभियुक्त को किसी मरीज को दवाई देते व बेचते देखा और ना ही मौके पर मरीज भर्ती था। उसने अडौस पडौस के किसी व्यक्ति से यह पुछताछ नहीं की कि मुलजिम एलॉपेथी की प्रेक्टीस करता है या नहीं। सादुलशहर से मुलजिम के क्लिनिक की जांच करने चले थे तब उन्होंने हस्पताल के किसी रजिस्टर में जांच करने का इन्द्राज नहीं किया। मुलजिम की मेज पर जो रजिस्टर पडा था उसमें किस मरीज को क्या दवाई देना दर्ज था वह नहीं बता सकता। आगे यह भी स्वीकार किया कि खाली एम्फयूल कचरे में मिल सकती है। खाली एम्फयुल किस कम्पनी व किस दवाई के थे वह नहीं बता सकता। नीडल व सीरेन्ज कब प्रयोग में ली वह नहीं बता सकता। जो खाली नीडर व सीरेंज कचरे में मिल सकते है। खाली व आंशिक रूप से काम में ली गई। वायल 30 एमएल नगर 21 कितने काम में लिये जा चुके थे व कितनी दवाई उसमें थी, वह नहीं बता सकता और ना ही इन दवाइयों की कंपनी का नाम बता सकता। खाली व आंशिक रूप से काम में ली गई वायल 30

एमएल नग 14 कितने काम में लिये जा चुके थेव कितनी दवाई उसमें थी व किस नाम विशेष व कंपनी की थी,वह नहीं बता सकता। खाली एम्फयूल काम में लियेगये, कुल संख्या 11 किस दवाई व किस कंपनी के थे, वह आज नहीं बता सकता, काम में लिया गया आईवी सैट व काम में लिये गये डिस्पोजल सीरेंज संख्या 5 कंचरे में मिल सकती है। स्टेथोस्कॉप आर्युवेदिक वैद्य भी काममें ले सकता है। इसी प्रकार बीपी जांचने का यंत्र भी आर्युवेदिक वैद्य काम में ले सकता है। स्कल्प वेन सेट काम में लिए हुए कुल 6 सैट कचने में मिल सकते हैं। केमिकल टेस्ट करने से ही पता चलता है कि इनमें क्या–क्या घटक थे। आगे यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी. 05 नकल है, जिस पर स्थान सी से डी में ऑवर राईटिंग की हुई है तथा ऑवर राईटिंग पर किसी के लघु के हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली में मुलजिम के नाम का वैद्य विशारद की उपाधि का प्रमाण पत्र लगा हुआ है, इसकी जांच नहीं करवाई गई, क्योंकि उन्हें मौके पर नहीं दिया था, इसी प्रकार मुलिजम के नाम का आयुर्वेदिकरत्न का प्रमाण पत्र जो पत्रावली में लगा है की जांच नहीं करवाई, क्योंकि अभियुक्त ने उसे दिया नहीं था। अभियुक्त के नाम का बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन राजस्थान जयपुर का पंजीयन प्रमाण पत्र अ श्रेणी का पत्रावली में संलग्न है, इसी कोई जांच नहीं करवाई। उक्त प्रमाण पत्र वैद्य एवं वैद्यता निर्धारित दिनांक सहित हो तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकता है। आगे यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी. 09 पर किसी स्वतंत्र गवाह अथवा पड़ोसी के हस्ताक्षर नहीं है। गत्ता कार्टून पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह की प्रतिपरीक्षा से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि गवाह ने संपूर्ण कार्यवाही में किसी भी स्वतंत्र गवाह को नहीं रखा, ना ही थाना से पुलिस ईमदाद लेने हेतु कोई प्रार्थना पत्र थाना में पेश किया। गवाह ने अभियुक्त की दुकान के आस–पड़ौस की दुकानें के बारे में भी अनभिज्ञता जाहिर की है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने लिखित रिपोर्ट के साथ फर्द रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01, फर्द जब्ती एक सिल्डशुदा कार्टून, नक्शा मौका प्रदर्श पी. 02 भी पेश किये हैं, किंतु उक्त दस्तावेज में से किसी भी दस्तावेज पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि बरवक्त चैकिंग अभियुक्त क्लीनिक पर होता तो अवश्य ही उक्त फर्दात् पर अभियुक्त के हस्ताक्षर करवाये जाते। किंतु अभियुक्त के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है, जिससे अभियुक्त की मौके पर मौजूदगी पर संदेह उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा मौका पर किसी मरीज का एलोपैथिक दवाइयों से ईलाज किया जा रहा हो, उस मरीज के संबंध में कोई कथन अपनी लिखित रिपोर्ट में

नहीं किये है, ना अभियोजन पक्ष की ओर से किसी मरीज को गवाहान सूची में रखा, जिस मरीज द्वारा अभियुक्त से उपचार लिया गया हो। इस संबंध में परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किये हैं कि मौके पर कोई मरीज भर्ती नहीं था। इसके अतिरिक्त जो रजिस्टर अभियुक्त की क्लिनिक से मिला, उसमें भी किसी किसी मरीज का अंकन या दवाई का अंकन नहीं होना अपनी प्रतिपरीक्षा में परिवादी ने स्वीकार किया है। इसके अलावा गवाह पी.डब्ल्यू. 03 रमेशचन्द्र ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किये है कि जब वे दुकान पर पहुंचे तब उन्होंने व डॉक्टर साहब ने अड़ौसी पड़ौसी को चैंकिग करने से पूर्व नहीं बुलाया। आगे गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसने जयप्रकाश को किसी मरीज को एलोपैथिक दवाई देते हुए या इंजेक्शन लगाते हुए नहीं देखा, जो कथित दवाईयां दुकान से बरामद की, उसके नाम वह नहीं बता सकता। फर्द चैंकिग प्रदर्श पी. 01 फर्द रिपोर्ट पर डॉक्टर जयप्रकाश के हस्ताक्षर करवाये या नहीं, उसको पता नहीं। फर्द रिपोर्ट उसकी कल्मी नहीं है। डॉ. जयप्रकाश ने डॉ अजय सिंगला को अपनी डिग्रीयां दिखाई थी, परंतु डॉ. अजय सिंगला ने उसे कहा था कि यह डिग्रीयां दवाई देने योग्य नहीं है। डॉ. जयप्रकाश ने डॉ. सिंगला को आयुर्वेदिक वैद्य डिग्री दिखाई या नहीं उसे नहीं पता। इसी प्रकार के कथन अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 01 डॉ. सुंदरलाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में किये हैं। समग्र रूप से उक्त गवाहान की साक्ष्य से मौका पर गौरीशंकर और प्रेमसुख के होने का तथ्य सामने आया है, परंतु गवाह गौरीशंकर पी.डब्ल्यू. 04 व प्रेमसुख पी.डब्ल्यू.05 पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने प्रतिपरीक्षा में कथन किये हैं कि जयप्रकाश आयुर्वेदिक वैद्य है, जो कि केवल आयुर्वेदिक पद्धति से ईलाज करते है। जयप्रकाश एलोपैथी पद्धति से ईलाज नहीं करते हैं। जयप्रकाश उस दिन सुबह आयुर्वेदिक क्लिनिक खोलकर अपनी रिश्तेदारी में बैठक में गये थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह पी.डब्ल्यू. 01 डॉ. सुंदरलाल व पी.डब्ल्यू. 02 डॉ. अजय सिंगला ने अभियुक्त का एलोपैथिक की प्रैक्टिस करने के संबंध में भी अनभिज्ञता जाहिर की है, जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त एलोपैथिक पद्धति से मरीजों का ईलाज किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है।

06. जहाँ तक अभियुक्त द्वारा बिना लाईसेंस या गलत तरीके से दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री करने का प्रश्न है तो उस संबंध में फर्द रिपोर्ट में अवैध औषधियां एवं अभ्यास उपकरण बरामद किये जाने बाबत् कथन किये हैं, किंतु उस संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच या एफ.एस.एल. रिपोर्ट नहीं करवाई गई है, जिससे यह

प्रमाणित हो कि क्लीनिक से बरामदशुदा औषधियां अवैध हों और अवैध औषधियों का विक्रय अभियुक्त द्वारा किया जा रहा हो। इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू.02 डॉ. अजय सिंगला ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्टतः कथन किये हैं कि कब्जे में ली गई दवाइयां क्रम सं. 01 से 13 तक जो उसने मुख्य परीक्षण में लिखवाई है, इनका उसने केमिकल टेस्ट नहीं करवाया। आगे यह भी स्वीकार किया कि केमिकल टेस्ट करने से ही पता चलता है कि इनमें क्या -क्या घटक थे। इसके अलावा उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्टेथोस्कॉप व बी.पी. यंत्र को आयुर्वेदिक कार्य में काम में लेने बाबत् कथन किये हैं।

07. जहाँ तक अभियुक्त द्वारा किसी भी अधिकृत संस्था द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र नहीं होने के बावजूद चिकित्सा अभ्यास करना तथा क्लीनिक में एलोपैथिक दवाइयों व चिकत्सीय अभ्यास के उपकरणों द्वारा बिना किसी इण्डियन मेडिकल काऊंसिल के जारी पंजीयन प्रमाण पत्र के अभियुक्त द्वारा अपने आप को चिकित्सक के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए लोगों का एलोपैथिक दवाइयों द्वारा ईलाज करते पाया जाना एवं बेईमानी से उत्प्रेरित कर लोगों का ईलाज करने का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायालय का समाधान है कि अभियुक्त द्वारा अपने योग्यता संबंधी दस्तावेज के रूप में हिन्दी साहित्य सम्मलेन, प्रयाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र वैध विशारद एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा आयुर्वेदरत्न का जारी प्रमाण पत्र व बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिकल मैडिसन, राजस्थान सरकारी जयपुर का पंजीयन प्रमाण-पत्र (अ श्रेणी) को पेश किया है, जिसके संबंध में अनुसंधान अधिकारी या चिकित्साधिकारियों द्वारा कोई भी जांच नहीं करवाई गई है, जिससे यह साबित हो उक्त दस्तावेज अभियुक्त द्वारा फर्जी या कूटरचित तैयार किये गये हों, ना ही उन शिक्षण संस्थाओं से पत्र-व्यवहार किया गया, जिन संस्थाओं द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 02 डॉ. अजय सिंगला ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्टतः कथन किये हैं कि पत्रावली में मुलजिम के नाम का वैद्य विशारद की उपाधि का प्रमाण पत्र व मुलिजम के नाम का आयुर्वेदिंकरत्न का प्रमाण पत्र एव अभियुक्त के नाम का बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन राजस्थान जयपुर का पंजीयन प्रमाण पत्र अ श्रेणी का संलग्न होने एवं इनकी कोई जांच नहीं करवाने का कथन किया है। गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि उक्त प्रमाण पत्र वैद्य एवं वैद्यता निर्धारित दिनांक सहित हो तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकता है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा पेश किये गये योग्यता संबंधी दस्तावेजों की मौजूदगी में यह नहीं

माना जा सकता कि बिना किसी पंजीयन प्रमाण पत्र के अभियुक्त द्वारा अपने आप को ऐलोपैथिक चिकित्सक के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए लोगों का एलोपैथिक दवाइयों द्वारा ईलाज किया गया हो और अभियुक्त आयुर्वेदिक पद्धति से ईलाज करने में सक्षम न हो।

08. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी मौखिक व दस्तावेजी प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रकट हो कि तथाकथित अभियुक्त द्वारा बिना लाईसेंस या गलत तरीके से दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री करना व किसी भी अधिकृत संस्था द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र नहीं होने के बावजूद चिकित्सा अभ्यास करना तथा क्लीनिक में एलोपैथिक दवाइयों व चिकत्सीय अभ्यास के उपकरणों द्वारा बिना किसी इण्डियन मेडिकल काऊंसिल के जारी पंजीयन प्रमाण पत्र के अभियुक्त द्वारा अपने आप को चिकित्सक के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए लोगों का एलोपैथिक दवाइयों द्वारा ईलाज करते पाये गये एवं बेईमानी से उत्प्रेरित कर लोगों का ईलाज किया हो। अतः अभियुक्त के आचरण और कृत्य से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 419, 420 भारतीय दण्ड संहिता व 15(2) मेडिकल काऊंसिल एक्ट 1956 एवं 18(सी) औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 का अपराध किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होता है और अभियुक्त के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण में आगे कार्यवाही किये जाने के कोई पर्याप्त आधार विद्यमान नहीं होने और प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं के अपराध में आरोप विरचित किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रकट नहीं होता है।

आदेश

09. लिहाजा अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र हनुमान सिंह, उम्र-62 वर्ष, निवासी-वार्ड नम्बर लालगढ़ जाटान, पुलिसथाना-लालगढ़ जाटान, जिला-श्रीगंगानगर को धारा 419, 420 भारतीय दण्ड संहिता 15(2) मेडिकल काऊंसिल एक्ट 1956 एवं 18(सी) औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अंतर्गत अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु राशि

10000/– रूपये का व्यक्तिगत् बंध–पत्र एंव इसी राशि की एक प्रतिभू, इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(मीना गहलोत)

10. आदेश आज दिनांक 07.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(मीना गहलोत)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.25 00:29:26 IST